(c) what are the names of drugs involved and whether his Ministry have examined the position of each drugs; and

(d) if so, what action has been taken on each and by when the decision on others would be completed?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (d) Around 29 letters have been received from Members of Parliament during the period from 1-1-90 to 25-4-90 either for incusion of certain bulk drugs under the scheduled categories or other matters concerning DPCO 1987. All the suggestions contained in these letters will be examined and considered by the Standing Committee constituted in this Department.

Setting up of New CGHS Homoeopathic Dispensaries

360. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of HEALTH AND WAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal set up new CGHS Homoeopathic dispensaries in the country during the Eighth Plan period;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) Whether areas have been identified to set up these dispensary would be set up in the VIP Zone in Delhi other the existing one?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) to (c) The Plan outlay for the VIIIth Five Year Plan is yet to be finalised. Norms are being formulated for the opening of homoeopathic dispensaries.

उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के मामले

361. **श्री राम नरेश यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1990 तक भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, जिनमें पाजीटिव एड्स पाया गया था और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ;

(ख) जुलाई, 1985 से दिसम्बर 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों की संख्या कितनी थी और राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक मौतें हुई और उक्त रोग के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त रोग की पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों का पता लगाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने किसी विशेषज्ञ दल द्वारा कोई अध्ययन कराया है, और यदि हां, तो कब और इस संबंध में उस दल के निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 31-3-90 तक लगभग 21 सीरम पाजीटिव रोगी और 44 रोगियों जिनमे रोग पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, की सूचना दी गई है । सरकार ने निम्नलिखित 10 मेडिकल कालेजों को निर्धारित किया है जहां एच आई०वी० से संक्रमित व्यक्तियों और एड्स के रोगियों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जायेगी और ये यूनिटें प्रशिक्षित चिकित्सकों और उपचर्या कर्मचारियों के अधीन हैं :—

1. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
3. एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर ।
4. जे०-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर ।
5. त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।
5. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद ।
7. कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।
8. एस०सी०बी० मेडिकल कालेज, कटक ।

9. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास ।
10. जे.जे. मेडिकल कालेज, बम्बई ।

(ङ) 1985 से 1989 तक के वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश में मेनिनगोकोक्कल मेनिन्जाइटिस के कारण सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या इस प्रकार है :--

वर्ष	रोगी	मौतें
1985	707	102
1986	407	87
1987	28	7
1988 (अनन्तिम)	170	32
1989 (अनन्तिम)	4	—

जिलावार आंकड़ों की सूचना नहीं मिली है ।

(च) महामारी के साथ-साथ अन्तर महामारी अवधि के दौरान चलाए गए मेनिन्जाइटिस रोगियों के सम्पर्कों के वाहक की स्थिति के बारे में अनुसंधान अध्ययनों से पता चला कि सम्पर्कों में वाहक दर बहुत ही कम थी और साधारण कैमोथिरेपी जैसे सल्फाडायजीन वाहक-दर को कम कर सकती है । मेनिनगोकोक्कल मैनिन्जाइटिस की रोकथाम संबंधी उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :--

(1) अर्ध चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा रोगियों की शुरू में ही सूचना देना ताकि सभी संदिग्ध रोगियों का अस्पतालों में उपचार किया जा सके ;

(2) रोगियों का पता लगाने और उनके रोग का पता लगाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए चिकित्सा दलों का गठन करना ;

(3) किफायती रेंज में पेन्सिलिन और क्लोरेम्फेनिकोल नामक उपयुक्त औषधें प्रदान करके रोगियों का उपचार करना ;

(4) चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिक जो अस्पतालों और आकस्मिक विभागों में रोगियों को देखते हैं, को टीका लगाना ।

(5) जो व्यक्ति रोगियों के सम्पर्क में आ सकते हैं, उन्हें स्टफ डायजेन देकर सुरक्षा प्रदान करना ।

---

12 Noon

The Deputy Chairman in the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now. Papers to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): Madam, I lay on the Table, under sub-section (4) of Section 29 of the Petroleum Act, 1934, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Notification G.S.R. No. 109(E) dated the 2nd March, 1990, publishing the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 1989. [Placed in Library. *See* No. LT-786/90].

I. Financial Statement incorporating 1987-88 (Actuals) 1988-89 (Budget Revised Estimates) and 1989-90 (Budget Estimates) of Punjab State Electricity Board and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): Madam, I lay on the Table—